बाँदा जनपद के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का दण्ड के प्रति अभिवृत्ति का आलोचनात्मक अध्ययन

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी की
एम०एड० उपाधि की आंशिक पूर्ति हेतु

लघु शोध प्रबन्ध

सत्र 2012–2013

शोध पर्यवेक्षक

डॉ० प्रताप सिंह सेंगर
प्रवक्ता
शिक्षा सकाय
अतर्रा पी०जी० कॉलेज
अतर्रा, बाँदा

शोधकत्री

अर्चना
एम०ए० (इतिहास), बी०एड०

शिक्षा संस्थान
अतर्रा पी०जी० कॉलेज अतर्रा (बाँदा)

बाँदा जनपद के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का दण्ड के प्रति अभिवृत्ति का आलोचनात्मक अध्ययन

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी की
एम०एड० उपाधि की आंशिक पूर्ति हेतु

लघु शोध प्रबन्ध

सत्र 2012–2013

शोध पर्यवेक्षक

डॉ0 प्रताप सिंह सेंगर
प्रवक्ता
शिक्षा संकाय
अतर्रा पी0जी0 कॉलेज
अतर्रा, बाँदा

शोधकत्री

अर्चना
एम0ए0 (इतिहास) ,बी0एड0

शिक्षा संस्थान
अतर्रा पी०जी० कॉलेज अतर्रा (बाँदा)

समर्पण



परम पूजनीय

पिताजी श्री पूरन लाल

व वंदनीया मां श्रीमती माया देवी

के चरणविंदों में

श्रद्धा भक्ति एवं विनयपूर्वक

सादर समर्पित

डा0 प्रताप सिंह सेंगर
प्रवक्ता

शिक्षा संस्थान,
अतर्रा पी0जी0 कॉलेज
अतर्रा, बाँदा

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एम0एड0 छात्रा अर्चना ने शिक्षा संस्थान अतर्रा पी0जी0 कॉलेज अतर्रा बाँदा से, **'बाँदा जनपद के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का दण्ड के प्रति अभिवृत्ति का आलोचनात्मक अध्ययन'** विषय पर अपना लघु शोध प्रबन्ध मेरे निर्देशन में निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण किया है।

प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध मेरी जानकारी में पूर्णतया मौलिक तथा इनके द्वारा किये गये अध्ययन एवं शोध के निष्कर्ष पर आधारित है।

दिनांक ....

स्थान ....

डॉ0 प्रताप सिंह सेंगर
प्रवक्ता

शिक्षा संस्थान,
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय

घोषणा पत्र

मैं अर्चना एम0एड0 (छात्रा) सत्र 2012–13 शिक्षा संस्थान अतर्रा पी0जी0 कॉलेज, अतर्रा (बाँदा) शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध **बाँदा जनपद के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का दण्ड के प्रति अभिवृत्ति का आलोचनात्मक अध्ययन''** बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी के एम0एड0 उपाधि की आंशिक पूर्ति हेतु लघु शोध प्रस्तुत किया गया है। मेरा यह कार्य सर्वधा मौलिक है और मेरे संज्ञान में इसे कही प्रस्तुत नही किया गया है।

दिनांक ....

स्थान ....

शोधकत्री

अर्चना

अर्चना

एम0एड0 (छात्रा)

आभार-प्रदर्शन

मैं सर्वप्रथम ज्ञान का पुंज फैलाने वाली मॉ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। तत्पश्चात इस शोध कार्य के प्रेरणा स्त्रोत डॉ0 प्रताप सिंह सेंगर जिन्होंने इस शोध प्रबंध का वर्मतान रूप देने में अमूल्य योगदान दिया है और अपने विस्तृत अनुभव एवं विद्वता रूपी रश्मियों से मेरा पथ आलोकित किया जिसके लिए मेरे पास उनके प्रति आभार प्रदर्शित करने के लिए शब्द नहीं है। फिर भी शब्दों के माध्यम से हृदय से उद्‌गार प्रकट किये जा सकते है। इसलिये इस माध्यम का सहारा मैंने लिया है। विषय की चयन प्रक्रिया से लेकर पूर्ण होने तक उनकी सद्‌भावना, प्रेरणा तथा आशीर्वाद मेरे साथ रहा, इस हेतु मैं उनका चिर आभारी रहूँगी। साथ ही हमारे शिक्षा संस्थान के विभागाध्यक्ष डॉ0 अरिमर्दन सिंह, डॉ0 अमरनाथ दत्त गिरी, डॉ0 राजीव अग्रवाल, डॉ0 सुशील कुमार, दीपक सेन, अनूप कुमार एवं सौरभ सर इन सभी गुरू जनों का सहयोग समय–समय पर मिलता रहा। इसके लिये मैं सभी की आभारी हूँ!

प्रस्तुत शोध संकलन में परम पूज्य पिताजी श्री पूरन लाल एवं मां माया देवी तथा परिवारिक सदस्यों का सहयोग रहा है उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने में भी मुझे लेशमात्र संकोच नहीं है। मेरे कक्षा के साथियो का भी सहयोग प्रशंसनीय है जिनमें आरती, श्रुति का सहयोग भी प्रशंसनीय है! साथ ही रंजीत कुमार एवं अनीश कुमार की भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने मुझे प्रव्येक क्षण उत्साहित किया।

अन्ततः मैं उन सभी लोगों के प्रति आभार प्रदर्शित करती हूँ जिन्होंने जाने–अनजाने में मेरे शोध कार्य की परिणिति के प्राप्तार्थ सहयोग किया है।

दिनांक–
स्थान–

अर्चना
एम०एड० (छात्रा)

अनुक्रमणिका

अध्याय प्रथम

1.0 भूमिका

1.1 समस्या की पृष्ठभूमि

1.2 अद्यतन ज्ञान

1.3 अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

1.4 शोध समस्या कथन

1.5 शोध शीर्षक में प्रयुक्त पक्षों की सक्रियात्मक परिभाषा

1.6 शोध समस्या के उददेश्य

1.7 शोध अध्ययन की परिकल्पनायें

1.8 शोध विधितंत्र

1.9 शोध में प्रयुक्त उपकरण

1.10 शोध अध्ययन का परिसीमांकन

अध्याय दि्तीय

2.1 संबंधित साहित्य का अध्ययन

2.2 संबंधित साहित्य का अर्थ

2.3 संबंधित साहित्य का महत्व

2.4 संबंधित साहित्य के कार्य

2.5 संबंधित साहित्य के उददेश्य

2.6 समस्या से सम्बन्धित पूर्व शोध कार्यों का अध्ययन

अध्याय तृतीय

3.0 प्रस्तावना

3.1 शोध का प्रकार

3.2 शोध अध्ययन की विधि

3.3 शोध अध्ययन में प्रयुक्त चर

3.4 शोध अध्ययन में प्रयुक्त जनसंख्या

3.5 शोध अध्ययन में प्रयुक्त प्रतिदर्श

3.6 न्यादर्श का आकार

3.7 शोध अध्ययन के उद्देश्य

3.8 शोध की परिकल्पनाये

3.9 अध्ययन के उपकरण

3.10 शोध अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकीय विधियां

अध्याय चतुर्थ

4.1 प्रस्तावना

4.2 उद्देश्यों के अनुसार परिणामों का परीक्षण

अध्याय पंचम

5.0 प्रस्तावना

5.1 शोध अध्ययन का सांराश

5.2 शोध अध्ययन के निष्कर्ष

5.3 शोध अध्ययन के शैक्षणिक निहितार्थ

5.4 भावी शोध अध्ययन हेतु सुझाव

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

परिशिष्ट

1. अभिवृत्ति मापनी

2. गणना से सम्बन्धित सारणियां

अध्याय प्रथम

1.0 भूमिका

1.1 समस्या की पृष्ठभूमि

1.2 अद्यतन ज्ञान

1.3 अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

1.4 शोध समस्या कथन

1.5 शोध शीर्षक में प्रयुक्त पक्षों की सकियात्मक परिभाषा

1.6 शोध समस्या के उददेश्य

1.7 शोध अध्ययन की परिकल्पनायें

1.8 शोध विधितंत्र

1.9 शोध में प्रयुक्त उपकरण

1.10 शोध अध्ययन का परिसीमांकन

अध्याय प्रथम **प्रस्तावना**

1.0 भूमिका

शिक्षा एक ऐसी प्रकिया है जो शिक्षक शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम के मध्य चलती है! शिक्षक का कार्य है कि वह शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से चलाने का प्रयास करे क्योकि शिक्षक के पास विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक अनुभव होता है ! पाठ्यक्रम एक माध्यम है जिसके कुछ उददेश्य होते हैं जिन्हे प्राप्त करने के लिये अध्यापक छात्रों की सहायता करता है! इन उददेश्यो को प्राप्त करने के लिये विद्यालयी वातावरण विशेष भूमिका निभाता है! वालक का विकास वातावरण मे ही होता है। वालक पर दूसरा प्रभाव आनुवांशिकी का होता है। इस प्रभाव के कारण जो गुण उसके माता पिता में होगे वही गुण बच्चे में दिखाई देगे। यदि उसके माता पिता की वुद्धि उच्च स्तर की है, तो बालक की भी वुद्धि लब्धि उच्च स्तर की होगी। आनुवांशिकी में वालक के अधिकतर गुण उसके माता पिता के समान होते हैं।

1.1 समस्या की पृष्ठभूमि

चार या पाँच बर्ष की आयु में वालक को प्रथमिक विद्यालय में प्रवेश दिया जाता हैं ! इस आयु में वालक परिपक्व नही होता है! उसे अच्छे बुरे का ज्ञान पूर्ण रूप से नही होता हैं वह कक्षा में अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर देता हैं जो कभी कभी कक्षा के वातावरण को काफी प्रभावित करता हैं इस क्रिया कलाप का प्रभाव कक्षा के दूसरे छात्रों पर भी पडता है तथा कभी कभी छात्र सामूहिक रूप से भी कक्षा वातावरण को प्रभावित करते हैं ऐसी स्थिति मे पाठयक्रम के उद्देश्यो को प्राप्त करने मे कठिनाइ पौदा हो जाती है विद्यालय का वातावरण अधिगम उद्देश्यो को प्राप्त करने मे कठिनाई महसूस करता है वालक को सही दिशा देने का कार्य अध्यापक का होता है। वह विभिन्न माध्यमों की सहायता से उसके व्यवहार मे परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। कक्षा के वातावरण को गत्यात्मक रूप देने के लिए अध्यापक उन छात्रों को सुधारने का प्रयास करता है जो कक्षा के वातावरण में वाधा उत्पन्न करते है। उन छात्रों को

अध्यापक सही मार्ग पर लाने का प्रयास करता हैं क्योंकि अध्यापक इन छात्रों के लिए अलग शिक्षण कक्ष की व्यवस्था नहीं कर सकता है। यदि वह इन छात्रों के लिए अलग से व्यवस्था करेगा तो अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होगी, जिससे विद्यालय के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ पडेगा। यदि विद्यालय में संसाधनों की कमी है तो अध्यापक इन छात्रों की अलग से व्यवस्था नहीं कर सकता है।

अलग व्यवस्था के बाबजूद भी ये छात्र नयी कक्षा को आसानी से नहीं चलने देगें। अतः इन छात्रों की अनुशासन में रखने के लिए दण्ड का प्रयोग करना पड़ेगा।

दण्ड प्रमुख रूप से शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक हो सकता है। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को अधिकतर शारीरिक दण्ड का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इस उम्र में बालक पिटाई से बहुत भयभीत होते है। अतः शारीरिक दण्ड से उनमें सुधार जल्दी से हो सकता है। शारीरिक दण्ड प्रकिया में छात्र को पीटना, थप्पड़ लगाना, कान खीचना, मुर्गा बनाना, उठा बैठक लगवाना आदि कियाओं से छात्र को कोई बड़ी हानि भी हो सकती है।

मानसिक दण्ड में बालक को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। आर्थिक दण्ड में बालक पर जुर्माना आदि लगाया जाता है।

1.2 अद्यतन ज्ञान

दण्ड विषय पर विद्धानों के बीच मतभेद बने हुये हैं। कुछ विद्धान दण्ड को आवश्यक मानते है तथा कुछ विद्धान दण्ड को आवश्यक नहीं मानते है। वर्तमान समय में शिक्षण प्रकिया को बाल केन्द्रित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार के उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2000 में एक महत्वपूर्ण निर्णय में शारीरिक दण्ड पर रोक लगा दी है।

1.3 अध्ययन की आवश्यकता

आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि शिक्षण प्रकिया में दण्ड को बन्द किया जाये। उच्चतम न्यायालय की ओर से भी शारीरिक दण्ड पर रोक लगी है। दण्ड प्रकिया बन्द होने से छात्रों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। दण्ड का भय न होने

से छात्रों में कई ऐसी आदते पनप रही है जो विद्यालय के वातावरण के अनुकूल नहीं हैं ऐसी स्थिति में शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विद्यालयों के पास बच्चे शोर मचाते तथा कक्षाओं के बाहर अनैतिक क्रिया–कलाप करते हुये देखे जा सकते हैं। जानकारी करने पर पता चलता है कि बच्चे अनुशासनहीन हो रहे हैं उन्हे दण्ड का भय नही तथा अधिकतर छात्र अध्ययन में रूचि नही लेते है। जो पढ़ने में रूचि अध्ययन में रूचि नहीं लेते है। जो पढ़ने में रूचि लेते हैं वे भी संगति के कारण नही पढ़ते हैं। इसलिये शोधार्थी ने इस विषय पर शोध का चयन किया है क्योंकि इस शोध से अध्यापकों का दण्ड के प्रति अभिवृत्ति की जानकारी तक पहुँचने में सफलता मिल सकती है। दण्ड प्रक्रिया से बालक में सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते है। दण्ड प्रक्रिया को अनेक विद्धानों ने पाश्विक प्रक्रिया माना है। प्रकृति वादी तो दण्ड का पूर्ण विरोध करते है। कई विद्धान दण्ड को आवश्यक भी मानते हैं इन सब के होते हुये भी वास्तिविक स्थिति को केवल अध्यापक ही समझ सकता है क्योंकि वास्तिविक घटना तो अध्यापक के सामने घटित होती है।

1.4 शोध समस्या कथन

बाँदा जनपद के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का दण्ड के अभिवृत्ति का आलोचनात्मक अध्ययन।

1.5 शोध शीर्षक में प्रस्तुत पक्षों की संकियात्मक परिभाषा

किसी भी वाक्य में जो किसी अनुसंधान से संबंधित होता है, में कई इस प्रकार के वाक्यांश कठिनाई होती है। अतः ऐसे शब्दों को विशेष शब्दों की सहायता से समझाने का प्रयास किया जाता है तथा कई वाक्यों में कोई स्थान का नाम भी आ जाता है जिसकी जानकारी भी शब्द परिभाषी करण में दी जाती है।

1.5.1 बाँदा

बाँदा जनपद का नाम महर्षि बामदेव के नाम से बाँदा पड़ा कहा जाता है कि यहाँ महर्षि बामदेव ने तप किया था। बाँदा उ0प्र0 में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के चित्रकूट धाम मण्डल में स्थित है इसका मुख्यालय बाँदा है।

इसकी सीमाएँ पूर्व में चित्रकूट पश्चिम में महोबा एवं हमीरपुर दक्षिण में मध्य प्रदेश उत्तर में फतेहपुर से लगी हुई हैं। बाँदा में चार तहसील, बाँदा सदर, नरैनी, अतर्रा तथा बबेरू हैं। इसके प्रमुख ऐतिहासिक स्थल कालिंजर दुर्ग, भूरागढ़ का किला इत्यादि हैं। यह जनपद वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगतिशील है।

1.5.2 प्राथमिक विद्यालय

प्राथमिक विद्यालय को शिक्षा का प्रवेश द्वार माना जाता है, क्योंकि बालक सर्व प्रथम शिक्षा प्राप्त करने के प्राथमिक विद्यालय में ही प्रवेश लेता है। प्राथमिक विद्यालय में सामान्यतया पाँच शिक्षण कक्ष, एक कार्यालय तथा नये नियमानुसार एक भूकम्प रोधी कक्ष तथा एक रसोई घर होता है। प्राथमिक विद्यालय में सामान्यतया पाँच सहायक अध्यापक होते है और एक प्रधानाध्यापक होता है। जो कार्यालयी काम के साथ–साथ विद्यालय में व्यवस्थापक का भी कार्य करता है। ये अध्यापक बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त होते है।

1.5.3 दण्ड

अपराधी बालकों को सुधार के लिये अपनायी जाने वाली दण्डात्मक प्रक्रिया को दण्ड कहते है। दण्ड की प्रक्रिया हमारे देश में बहुत प्राचीन है। शिक्षा के क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया को अनुशासन बनाये रखने के लिए प्रयोग किया जाता है।

1.5.4 अभिवृत्ति

अभिवृत्ति से आशय मनुष्य के अपने स्वयं के मत से है जो किसी विषय पर देता है। अभिवृत्ति सकारात्मक, नकारात्मक, सामान्य तथा विशिष्ट प्रकार की होती है।

1.6 अध्ययन के उददेश्य

1. प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की दण्ड के प्रति अभिवृत्ति ज्ञात करना।

2. कक्षा अनुशासन हेतु दण्ड के भूमिका के संदर्भ में प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक, अध्यापिकाओं की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

1.7 शोध अध्ययन की परिकल्पनायें

1. प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक कक्षा अनुशासन हेतु दण्ड को प्रभावहीन मानते हैं।

2. प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक तथा शिक्षिकाओं की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नही है।

1.8 शोध विधि तंत्र

1.8.1 शोध का प्रकार

यह शोध प्रबंध शैक्षिक है अतः यह वर्णनात्मक है।

1.8.2 शोध विधि

इस लघु शोध प्रबंध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया जायेगा।

1.8.3 समष्टि

इस लघुशोध प्रबंध में बाँदा जनपद के 20 सरकारी तथा गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सम्मिलित किया जायेगा।

1.8.4 प्रतिदर्श

इस लघु शोध अध्ययन में 25 शिक्षक तथा 25 शिक्षिकाओं को सम्मिलित किया जायेगा।

1.8.5 प्रतिदर्शन विधि

इस लघु शीघ्र अध्ययन में उददेश्य पूर्ण असंभाव्य प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया जायेगा।

1.8.6 शोध में प्रयुक्त चर

(i) प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक

(ii) दण्ड

(iii) अभिवृत्ति

1.9 शोध में प्रयुक्त उपकरण

इस लघुशोध अध्ययन में स्वनिर्मित दण्ड के प्रति अभिवृत्ति मापनी का प्रयोग किया जायेगा।

1.10 शोध अध्ययन का परिसीमांकन

(i) इस शोध अध्ययन को बाँदा जनपद तक ही सीमित किया जायेगा।

(ii) इस शोध अध्ययन में बाँदा जनपद के केवल 20 प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को सम्मिलित किया जायेगा।

(iii) इस शोध अध्ययन में बाँदा जनपद के 20 विद्यालयों के केवल 50 अध्यापकों तक सीमित किया जायेगा।

अध्याय द्वितीय

2.1 संबंधित साहित्य का अध्ययन

2.2 संबंधित साहित्य का अर्थ

2.3 संबंधित साहित्य का महत्व

2.4 संबंधित साहित्य के कार्य

2.5 संबंधित साहित्य के उददेश्य

2.6 समस्या से सम्बन्धित पूर्व शोध कार्यों का अध्ययन

2.1 संबंधित साहित्य का अध्ययन

शैक्षिक प्रक्रिया में अधिक अनुभवी व्यक्ति (किसी विशेष क्षेत्र में) कम अनुभवी व्यक्ति को अपना अनुभव या पाठ्य क्रम के अनुसार विशिष्ट ज्ञान प्रदान करता है। इस विशिष्ट या सामान्य ज्ञान से विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। एक कक्षा में एक शिक्षक तथा विद्यालय के नियमानुसार उसमें निर्धारित छात्र संख्या होती है। इस नियम के अनुसार कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। कक्षा में अनेक परिवारों तथा विभिन्न प्रकार के वातावरण के बच्चे एक साथ विद्यालय की एक कक्षा में अध्ययन करते है तथा एक प्राथमिक विद्यालय अपनी सुविधा के अनुसार कक्षाओं को उप कक्षा में भी बदल सकता है। विभिन्न प्रकार के वातावरण से आये बालक जब साथ–साथ पढ़ते है तब उनमें आपस में वातचीत, लड़ाई, झगड़े होते है। कभी कभी विद्यालयों में चोरी की घटनायें भी सामने आती है। चूँकि प्राथमिक कक्षा में बालक इतना समझदार भी नहीं होता है कि वह ऐसा कार्य न करें जो कक्षा या विद्यालय के वातावरण में अवरोध उत्पन्न न हो या शिक्षको को परेशानी का सामना करना पड़े। इन क्रियाओं को रोकने के लिए अनुशासन अधिक महत्वपूर्ण है तथा अनुशासन को बनाये रखने के लिये कई प्रकार की विधियां है जिनमें दण्ड एक प्रकार की विधि है जो अनुशासन को बनाये रखने में विशेष भूमिका निभाती है। शोधकर्ता को इसी प्रक्रिया पर शोध प्रस्तुत करना है।

दण्ड शिक्षा के साथ–साथ दूसरे प्रकार के अनुशासन बनायें रखने में किया जाता है क्योंकि बिना अनुशासन बनायें किसी भी कार्य को आसानी से सम्पन्न नहीं किया जा सकता है इसी प्रकार कक्षा शिक्षण को सुव्यवस्थित बनाये रखने के लिए दण्ड का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता चला आ रहा है।

प्राचीन वैदिक काल में अनुशासन से तात्पर्य शारीरिक मानसिक और आत्मिक संयम से लिया जाता था। उस काल **शारीरिक संयम से तात्पर्य** था। **ब्रहमचर्य व्रत का**

पालन श्रृंगार न करना, सुगंधित पदार्थो का प्रयोग न करना, नृत्य एवं संगीत में आनंद न लेना जुआ न खेलना, गाय न मारना, झूठ न बोलना और चुगली न करना। **मानसिंक संयम से तात्पर्य था–** इन्द्रिय निग्रह, सत्य अहिंसा अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रहमचर्य का पालन और काम कोध लोभ, मोह और मद से दूर रहना, और आत्मिक संयम से तात्पर्य था– आत्मा के स्वरूप को पहिचानना सब में एकात्म भाव देखना और सबके कल्याण के लिए कार्य करना। परन्तु उत्तर वैदिक काल में शिष्यों द्वारा गुरूओं के आदेशों और गुरू के नियमों के पालन को अनुशासन माने जाना लगा और जो शिष्य इनका पालन नहीं करते थे उन्हें दण्ड दिया जाता था पर शारीरिक दण्ड विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाता था। उस काल में मनु, गौतम और विष्णु शर्मा तो शारीरिक दण्ड देने के पक्ष मे नहीं थे। हॉ याज्ञवलय ने कुछ विशेष परिस्थितियों में शारीरिक दण्ड देने की स्वीकृति दी थी।

इस काल में छात्र तथा शिक्षक को बौद्ध संघों के नियमों का कठोरता से पालन करना पड़ता था। छात्र को पवज्जा संस्कार के समय बताये गये 10 नियमों का (अहिंसा, शुद्ध आचरण, सत्य, सत् आहार, मादकता से दूर, पर निंदा, श्रृंगार न करना, नृत्य एवं संगीत से दूर, पराई वस्तु ग्रहण न करना और सोना चांदी हीरा जवाहरात आदि कीमती दान न लेना) का पालन करना होता था, और भिक्षु की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को इनके अतिरिक्त 8 और नियमों (वृक्ष के नीचे निवास करनाख, सादे वस्त्र धारण करना, भिक्षा मांग कर भोजन करना औषधि के रूप में गौमूत्र का सेवन करना, ब्रहमचर्य का पालन करना, चोरी न करना, हिंसा से दूर रहना और आलौकिक शक्तियों का दावा न करना) का पालन करना होता था। उस काल में इन नियमों को ही अनुशासन कहा जाता था। इस काल में गुरू और शिष्य एक दूसरे के आचरण पर दृष्टि रखते थें। दोनों एक दूसरे को सचेत रखते थे। और किसी के द्वारा नियम भंग होने पर उन्हें दण्ड दिया जाता था। सामान्य छात्रों को यह दण्ड भिक्षु तथा भिक्षुओं को यह दण्ड बौद्ध संघो द्वारा दिया जाता था, पर शारीरिक दण्ड का इस युग में निषेध था। मर्यादा भंग करना, भिक्षु का अपमान करना और शादी जैसे अपराध करने पर छात्रों को मठो से निकाल दिया जाता था।

मध्य कालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों के आदेशों और मकतब तथा मदरसों के नियमों का पालन करना ही अनुशासन माना जाता था आदेशों और नियमों का पालन न करने वाले छात्रों कोक कठोर दण्ड दिया जाता था। बेतों से पीटा जाता था, कोड़े लगाये जाते थे और कभी–कभी कपड़ों से बांध कर टांग दिया जाता था। इसे वर्तमान भाषा में दमनात्मक अनुशासन कहा जाता है। पर इस दण्ड व्यवस्था के साथ योग्य एवं अनुशासित छात्रों को पारतोषिक देने की व्यवस्था थी।

यथार्थवादी शिक्षा में व्यवस्था पर बल देते है। व्यवस्था अनुशासन पर बल दिया जाता है वातावरण के प्रति समायोजन पर यथार्थ वाद विशेष जोर देता है। दण्ड तथा भय से अनुशासन स्थापित करने पर ये बल देते है।

2.2 संबंधित साहित्य का अर्थ

सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य अनुसंन्धान की समस्या से सम्बन्धित सभी प्रकार के पुस्तकों ज्ञानकोषों पत्र पत्रिकाओं प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध प्रबन्धों एवम् अभिलेखों आदि से है जिसकी सहायता से अनुसन्धानकर्ता को अपनी समस्या का चयन परिकल्पनाओं के निर्माण अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है।

2.3 संबंधित साहित्य के अध्ययन का महत्व

सम्बन्धित साहित्य शोध कार्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अभाव में शोधकर्ता उचित दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। जब तक शोधकर्ता को यह ज्ञात न हो कि उस क्षेत्र में कितना कार्य हो चुका है किस विधि से कार्य किया गया है तथा उसके निष्कर्ष क्या निकले हैं? तब तक वह न तो समस्या का निर्धारण कर सकता है और न शोध कार्य की रूपरेखा ही तैयार कर सकता है।

- देर से आने पर दण्ड का प्रावधान आवश्यक है क्योंकि बालक को यदि दण्ड न दिया जाय तो भविष्य में भी वह अनुशासन हीन रहेगा।
- छुट्टी लिये बिना जो छात्र अनुपस्थित रहता है उसे दण्ड दिया जाना चाहिये जिससे वह आगे कभी बिना कारण के अनुपस्थित नहीं रहेगा।
- कक्षा में ध्यान से न पढ़ने पर छात्र को आवश्यक रूप से दण्ड देना चाहिए।
- दण्ड देने का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि यदि छात्र अन्य छात्र अध्यापकों से बुरा बर्ताव करता है तो उसे निश्चित ही ऐसा दण्ड दिया जाये जिससे वह आगे ऐसा बर्ताव करने की हिम्मत न करें।
- असभ्य भाषा के प्रयोग पर भी छात्र को दण्डित करने का प्रावधान अति महत्वपूर्ण है।

2.4 संबंधित साहित्य के कार्य

- सर्वेक्षण अनुसंधान कार्य के लिए आवश्यक सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि प्रदान करता है। प्रत्येक प्रत्यय व धारणा को स्पष्ट करता है।
- सर्वेक्षण द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुसंधान की स्थिति क्या है ? क्या, कब, कहां, किसने और कैसे अनुसन्धान कार्य किया है। इस ज्ञान के प्राप्त करने पर अध्ययन की योजना बनाना सुविधाजनक हो जाता है।
- सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण अनुसंधान के लिए अपनायी जाने वाली विधि, प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरण तथा आंकड़ों के विश्लेषण के लिये प्रयोग में आने वाली उपयुक्त विधियों को स्पष्ट करता है।
- सर्वेक्षण इस तथ्य को भी स्पष्ट करता है कि किया जा रहा अनुसन्धान कार्य किस सीमा तक सफल हो सकेगा और प्राप्त निष्कर्षों की उपयोगिता क्या होगी?
- सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण कार्य है– समस्या के परिभाषीकरण, अवधारणा बनाने, समस्या के सीमांकन और परिकल्पना के निर्माण में सहायता करना।

2.5 सम्बन्धित साहित्य के उद्‌देश्य

- यह अनुसन्धान के लिए सिद्धान्त, विचार, व्याख्याएं तथा परिकल्पनाएं प्रदान करता है जो नयी समस्या के चयन में उपयोगी हो सकते हैं।
- यह अनुसंधान के लिये किये गये क्षेत्र में कितना और किस प्रकार हो चुका है, इसकी जानकारी देता है।
- यह परिकल्पना के लिए साधन प्रदान करता है। शोधकर्ता प्राप्त अध्ययनों के आधार पर शोध परिकल्पनाएं बना सकता है।
- चयनित समस्या के लिए किस विधि तथा प्रक्रिया का प्रयोग उपयुक्त होगा? कौन सा उपकरण प्रयोग में लाना उचित होगा तथा कौन सी सांख्यिकीय का प्रयोग करना होगा? इन सबकी जानकारी देता है।
- यह परिणामों के विश्लेषण करने में सहायता करता है तथा उपयोगी निष्कर्षों तथा तुलनात्मक तथ्यों को निर्धारित करता है अर्थात सम्बन्धित अध्ययनों से निकाले गये निष्कर्षों की तुलना की जा सकती है।
- समस्या के परिभाषीकरण, अवधारणाएं, सीमांकन तथा परिकल्पना के निर्माण में सहायता करता है।

2.6 समस्या से सम्बन्धित पूर्व शोध कार्यों का अध्ययन

प्राचीन यहूदियों का आदश ''जो डण्डे का प्यागता है वह अपने पुत्र की हत्या करता है परन्तु जो उसका प्रयोग करता है वह अपने पुत्र से प्रेम करता है बालक स्वभाव से ही मूर्ख है परन्तु डण्डा इस मूर्खता को निकालकर वाहर करेगा।

सर टी प्रेसीनन के अनुसार तो दण्ड तथा दण्ड के भय को स्कूल शासन की नैसर्गिक नीव मानना धीरे–धीरे अज्ञानता तथा अन्ध विश्वास का लक्ष्य माना जा रहा है।

ए0 एस0 नेल ने अपनी पुस्तक **दी फ्री चाइल्ड** में लिखा है कि स्वतंत्रता से रहित शिक्षा अधूरी है ऐसी शिक्षा तो पूरी तौर से जीवन की भावनाओं की अवहेलना करना घृणा करना तथा भददेपन को स्थान देना है।

मस्तिष्क का ही विकास हो सकता है परन्तु यदि भावनाओं को स्वतंत्र रहने दिया जाए तो बुद्धि स्वयं ही अपना विकास कर लेगी।

हरवर्ट स्पेन्सर का कहना है कि बच्चे अपने आप के अटल परिणाम को स्वयं ही भुगतते है।

ब्रे का कहना है कि दण्ड तो भविष्य में होने वाली बड़ी बुराई को दूर करने के लिये छोटी बुराई है। यह तो सर्वदा देखा गया है कि बुराई को आरंभ में न रोका जाय तो अन्त में वह विनाशकारी बन जाती है। पुरानी कहावत है कि ''बुराई उत्पन्न होते ही दवा दों।''

पी0सी0 ब्रेन यद्यपि मानते है कि दण्ड तो बुराई है जिसे जिसे रोकना चाहिये। परन्तु वे इसे डाक्टर की चाकू की भॉति आवश्यक बुराई मानते है।

बाग्ले तथा ब्रे का विचार है कि दण्ड का हमारे स्कूल में परत्यिाग न करने योग्य स्थान है। बच्चा निसहाय तथा निर्दोष है और इसे इतनी लम्बी रस्सी नहीं देनी चाहिये जिससे लटक कर वह अपनी आत्महत्या न कर ले।

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर दण्ड ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के शरीर मन तथा भावना को प्रभावित करती है इसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप मे देखा जाना चाहिए कि इस प्रक्रिया का प्रयोग सही रूप मे तथा सही समय पर होता है तो यह सही काम करेगी और इसका प्रयोग उचित समय पर नहीं किया जाता है तो यह हानि प्रद हो सकती है।

अध्याय तृतीय

3.1 शोध का प्रकार

3.2 शोध अध्ययन की विधि

3.3 शोध अध्ययन में प्रयुक्त चर

3.4 शोध अध्ययन में प्रयुक्त जनसंख्या

3.5 शोध अध्ययन में प्रयुक्त प्रतिदर्श

3.6 न्यादर्श का आकार

3.7 शोध अध्ययन के उद्देश्य

3.8 शोध की परिकल्पनाये

3.9 अध्ययन के उपकरण

3.10 शोध अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकीय विधियां

अध्याय तृतीय

अनुसंधान अभिकल्प

3.0 प्रस्तावना

अनुसंधान एक ऐसा व्यवस्थित एवं नियंत्रित अध्ययन है जिसके अन्तर्गत संबंधित चरो, घटनाओं के पास्परिक संबंधों संबंधित चरो, घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का अन्वेषण तथा संश्लेषण– विश्लेषण उपयुक्त सांख्यिकी एवं वैज्ञानिक विधियों द्वारा किया जाता है, इससे प्राप्त परिणामों से वैज्ञानिक निष्कर्षो, नियमों तथा सिद्धांतों की रचना, खोज तथा पुष्टि की जाती है। इसका ध्येय वैज्ञानिक ज्ञान की परिधि का अधिक से अधिक विस्तृत तथा परिशुद्ध करना होता है। साथ ही उपलब्ध नवीनतम वैज्ञानिक सिद्धांतों द्वारा पूर्व सीमित तथ्यों नियमों तथा पद्धतियों की विश्वनीयता वैधता तथा वस्तुनिष्ठता पर पुनर्परीक्षण और पुष्टिकरण करना होता है। एवं उसमें यथा संभव नवीन संबंधों की स्थापना करना होता है। इस प्रकार अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान विशुद्ध संगठित तथा सुव्यस्थित होता है।

अनुसंधान के लिये शोध समस्या का अन्तिम रूप से चयन करने तथा परिकल्पना निर्माण के पश्चात् शोध कर्ता के सामने यह समस्या आती है कि वह अपने शोध अध्ययन की परिकल्पनाओं के परीक्षण के लिए प्रदत्तों का संकलन करने के बाद यह खोजने का प्रयास करता है कि कौन सा उपकरण उसके शोध अध्ययन में सर्वश्रेष्ट माध्य होगा। तभी वह उसका चयन करता हैं अथवा नवीन उपकरण की रचना करता है। शोधार्थी द्वारा भी प्रस्तुत शोध अध्ययन की परिकल्पनाओं के आंकलन करने हेतु **दण्ड के प्रति अभिवृत्ति मापनी** का निर्माण किया गया है।

3.1 शोध का प्रकार

यह शोध कार्य वर्णनात्मक है।

3.2 अध्ययन विधि

अनुसंधान कार्य हेतु शोध समस्या तथा उससे संबंधित चरों के वैज्ञानिक विश्लेषण और व्याख्या के लिये वास्तिविक तथ्यों की आवश्यकता होती है। इन तथ्यों को संकलित करने के लिये शोधकर्ता जिस विधि का प्रयोग करता है उसे अध्ययन प्रविधि कहा जाता है।

गुड तथा हाट के अनुसार ''प्रविधियों के अन्तर्गत वे विशिष्ट तरीके सम्मिलित है जिनके द्वारा अनुसंधानकर्ता अपने तथ्यों का उनमें तार्किक या सांख्यिकीय विश्लेषण के रूप में इकत्रित तथा क्रम वृद्ध करता है।''

कोफाई के अनुसार– ''अनुसंधान चिंतन एक ऐसी क्रमवृद्ध तथा विशुद्ध प्रविधि है जिसमें मंत्रों उपकरणों तथा कियाओं का प्रयोग इस उद्देश्य से किया जाता है ताकि एक समस्या का समुचित ढ़ंग से समाधान उपलब्ध हो सके।''

उपयुक्त परिभाषाओं के विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्रविधि के अंतर्गत वे समस्त विधियां तथा प्रविधियां आ जाती है जिसका प्रयोग प्रदत्तों के संकलन के लिये किया जाता है अनुसंधान कार्य में चयनित या स्वनिर्मित उपकरणों का उपयोग भी प्रविधि के अन्तर्गत आता है, शोध कार्य में यह आवश्यक नहीं है कि किसी एक ही प्रविधि का प्रयोग शोध समस्या के समाधान हेतु किया जाय वस्तुतः यह चयनित शोध समस्या अध्ययन की प्रकृति के अनुसार प्रदत्तों गया है साथ ही साथ न्यादर्श विधि का भी उपयोग सहायक विधि के रूप में किया गया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में वर्णनात्मक विधि के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है किसी भी शोध कार्य को व्यवस्थित रूप से सम्पन्न करने के लिये किसी शोध प्रविधि का प्रयोग करना पड़ता हैं। इस संबंध में शोध कर्ता ने शोध समस्या के अनुरूप प्रविधि का चयन करते समय अनुभव किया कि प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त सर्वेक्षण विधि है इसलिये उसके द्वारा प्रस्तुत शोध अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

3.3 शोध अध्ययन में प्रयुक्त चर

(i) शिक्षक

(ii) दृष्टिकोण

(iii) विद्यालय

3.4 शोध अध्ययन में प्रयुक्त जन संख्या

इस शोध प्रबंध में बाँदा जनपद के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को शामिल किया जायेगा।

3.5 शोध अध्ययन मं प्रयुक्त प्रतिदर्श

शोधकर्ता ने लघु शोध अध्ययन के लिये बाँदा जनपद के निम्नलिखित विद्यालयों के अध्यापकों को न्यादर्श के रूप में प्रयुक्त किया है।

क्रम संख्या	विद्यालय का नाम	शिक्षकों की चयनित संख्या
1.	प्राथमिक विद्यालय चौंसठ जेगिनी मंदिर, बाँदा	3
2.	कुँवर हरदौल प्राथमिक विद्यालय, बाँदा	3
3.	भाऊराव देवरस सरस्वती शिशु मंदिर, बाँदा	6
4.	सरस्वती शिक्षा प्रसार प्राथमिक विद्यालय, बाँदा	2
5.	मर्दन नाका प्राथमिक विद्यालय, बाँदा	1
6.	विरांगना लक्ष्मीबाई विद्यालय, बाँदा	3
7.	ज्ञान भारती प्राथमिक विद्यालय, बाँदा	1
8.	फात्मा गर्ल्स इण्टर कॉलेज, बाँदा	3
9.	डायमण्ड जुबली प्राथमिक विद्यालय, बाँदा	2
10.	अलीगंज प्राथमिक विद्यालय, बाँदा	2
11.	सरस्वती शिशु मंदिर शास्त्री नगर, बाँदा	3
12.	आदर्श शिक्षा निकेतन, बाँदा	2

13.	पुलिस लाइन प्राथमिक विद्यालय, बाँदा	1
14.	एस0एम0 माण्टेसरी स्कूल कालूकुआँ, बाँदा	1
15.	एच0एल0 इण्टर कॉलेज, बाँदा	2
16.	गायत्री मंदिर प्राथमिक स्कूल, बाँदा	2
17.	प्राथमिक विद्यालय पल्हरी, बाँदा	3
18.	प्राथमिक विद्यालय मुरवल, बाँदा	3
19.	प्राथमिक विद्यालय गौतम पुरवा, बाँदा	3
20.	प्राथमिक विद्यालय अलिहा, बाँदा	4

3.6 न्यादर्श का आकार

इस लघु शोध अध्ययन में शोधकर्ता ने बाँदा जनपद के 20 प्राथमिक विद्यालयों के 25 शिक्षक तथा 25 शिक्षिकाओं को सम्मिलित किया है इस प्रकार कुल 50 शिक्षक तथा शिक्षिकाओं को न्यादर्श के रूप में लिया गया है।

3.7 शोध अध्ययन के उद्देश्य

शोधकर्ता ने इस लघु शोध में दो उद्देश्यों को लिया है जो निम्न है–

3.7.1 प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की दण्ड के प्रति अभिवृत्ति ज्ञात करना।

3.7.2 कक्षा अनुशासन हेतु दण्ड के भूमिका सन्दर्भ में प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक, अध्यापिकाओं की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

3.8 शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ

शोधकर्ता द्वारा इस लघु शोध प्रबन्ध में उद्देश्यों के अनुसार दो परिकल्पनाओं को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है।

3.8.1 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक कक्षा अनुशासन हेतु दण्ड को प्रभावहीन मानते हैं

3.8.2 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक तथा शिक्षिकाओं की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

3.9 शोध अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण

किसी तरह के शोध कार्य के लिये शोध समस्या से संबंधित परिकल्पनाओं के निर्माण के पश्चात् उनके परीक्षण के लिये आवश्यक तथा तर्क संगत प्रदत्तों का संकलन किया जाता है। इस शोध के लिये प्रदत्तों के संकलन के लिये स्वनिर्मित दण्ड के प्रति अभिवृत्ति का प्रयोग किया गया है क्योंकि–

1. प्रमाणिक परीक्षण का उपलब्ध न होना।
2. शोध समस्या के अनुकूल मापनी का न होने कारण।
3. उपलब्ध उपकरणों में विश्वनीयता तथा वैधता का न होना।
4. स्वनिर्मित दण्ड मापनी में विषय–वस्तु वैधता हैं।
5. इसका निर्माण विषेशज्ञों के निर्देशन में तैयार किया गया है।

3.7 शोध अध्ययन में प्रयुक्त तकनीकि–

व्यक्ति किसी वस्तु या प्रक्रिया के प्रति पूर्ण सहमत, सहमत, तटस्थ, असहमत तथा पूर्ण असहमत हो सकता है। व्यक्ति की अभिवृत्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है सहमति या असहमर्त की सीमाओं का ज्ञान प्राप्त किया जाय। अभिवृत्ति की तीव्रता के मापन हेतु मापन तकनीकि का प्रयोग किया है। इस शोध अध्ययन में पांच बिन्दु अभिवृत्ति मापनी के आधार पर बनाया गया है।

इस अन्वेषिका का निर्माण शोधकर्ता द्वारा शोध निर्देशक, शोध सहायकों, शिक्षा शास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों की सहायता से किया गया है। अभिवृत्ति मापनी में दिये गये कथनों का विषय चयन वस्तु विश्लेषण द्वारा किया गया है। इसमें अनुकूल वक्तव्यों का भार क्रमशः 5 अत्यधिक सहमत, 4 सहमत, 3 तटस्थ, 2 असहमत, 1 अत्यधिक असहमत तथा प्रतिकूल कथनों में 1,2,3,4,5 निर्धारित है।

3.10 शोध अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकीय विधियां–

सांख्यिकी से तात्पर्य प्रतिदर्श के अध्ययन के फलस्वरूप प्राप्त सांख्यिकीय मान से है। सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें समान तथ्यों से संबंधित प्रदत्तों को

एकत्रित किया जाता है उन्हें सारणी वद्ध यिका जाता है तथा उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है जिससे अध्ययन सरल हो जाता है।

1.मध्यमान– मध्यमान को अंकगणितीय औसत कहा जाता हैं। मध्यमान को परिभाषित करते हुये कहा जा सकता है कि दिये हुये अंक वितरण के समस्त अंकों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने से जो मान प्राप्त होता है। उसे मध्यमान कहते है।

मध्यमान का सूत्र

जहां	M	=	मध्यमान
		=	मध्य बिन्दु तथा आवृत्तियों के गुणनफल का योग।
	N	=	आवृत्तियों की संख्या

2.मानक विचलन

प्राप्तांकों के मध्यमान से जो विचलन प्राप्त होते है उनका योग सदैव शून्य के बराबर होता है। मानक विचलन सभी प्राप्तांकों के ऊपर निर्भर करता है अर्थात् सभी प्राप्तांकों के उनके मध्यमानों से लिये गये विचलनों के वर्गों के औसत के वर्गमूल को मानक विचलन कहा जाता है। इसका मान सदैव धनात्मक होता है। इसे S.D, से प्रदर्शित किया जाता है।

3.0 मानक त्रुटि

विद्वानों ने सिद्ध किया है कि दो मध्यमानों के अन्तर के प्रतिचयन वितरण मध्यमान शून्य के बराबर होता है तथा बहुत बड़े प्रतिदर्शों के लिये यह प्रतिचयन वितरण सामान्य प्राथमिकता वक्र के लगभग समान होता है जबकि छोटे प्रतिदर्शों के लिये यह वितरण टी वितरण के समान होता है।

अतः दोनो ही स्थितियों में दो मध्यमानों के अन्तर के प्रतिचयन वितरण का मानक विचलन जिसे दो मध्यमानों के अन्तर की मानक त्रुटि कहते है।

दोनों मध्यमानों के लिये मानक त्रुटियां अलग–अलग ज्ञात किये बिना ही निम्न सूत्र की सहायता से दोनो प्रतिदर्शो के मानक विचलनों तथा आकारों का प्रयोग करके दो मध्यमानों के अन्तर की मानक त्रुटि ज्ञात की जा सकती है।

टी–परीक्षण / क्रांतिक अनुपात

दो प्रतिदर्श मध्यमानों के अन्तर के प्रतिचयन वितरण के t वितरण के समान होने के कारण दो मध्यमानो के अन्तर की सार्थकता के लिये प्रयुक्त परीक्षण को 'टी' परीक्षण कहते हैं। इसमें t अनुपात वास्तव में दो मध्यमानो के अन्तर तथा इस अन्तर की मानक त्रुटि का अनुपात होता है। बड़े प्रतिदर्शो के संदर्भ में इसे क्रांतिक अनुपात भी कहते है।

उपरोक्त टी अनुपात का प्रतिपादन सन् 1908 में "गोसेट" ने किया था। इस प्रकार शोधकर्ता द्वारा उपरोक्त सांख्यिकी प्रविधियों का प्रयोग अपने अध्ययन में करके क्रांतिक अनुपात या 'टी' परीक्षण का मान प्राप्त किया है जिसकी सार्थकता 2.01 तथा 2.68 है।

अध्याय चतुर्थ

4.1 प्रस्तावना

4.2 उद्देश्यों के अनुसार परिणामों का परीक्षण

अध्याय चतुर्थ

प्रदत्तों का संकलन एवं विश्लेषण

4.1 प्रस्तावना

शोधकार्य में शोध उपकरणों के प्रशासन तथा फलांकन के पश्चात् प्रदत्तों का संकलन एवं व्यवस्थापन किया जाता है। संकलित प्रदत्त अपरिपक्व प्रदत्तों के रूप में पाये जाते है जो स्वयं में अर्थहीन होते है। जब तक कि उनका साख्यिकीय विश्लेषण नहीं किया जाता हैं।

अतः यह आवश्यक होता है कि अपरिपक्व प्रदत्वों को सुव्यवस्थित करके इस प्रकार प्रस्तुत किया जाय कि अध्ययन की गई विशेषताओं का ज्ञान सुगमता से हो सके। प्रदत्तों के विश्वलेषण से तात्पर्य यह है कि अपरिपक्व तथा अर्थहीन प्रदत्तों को अर्थपूर्ण बनाया जाय अथवा उपयुक्त को अर्थपूर्ण बनाया जाय अथवा उपयुक्त सांख्यिकीय गणनाओं के द्वारा परिणामों को प्राप्त किया जाय। इस कार्य के लिये सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है, एक आवश्यक उपकरण के रूप में किया जाता है। अतः सार्थक परिणामों की प्राप्ति हेतु प्रदत्तों के विश्लेषण की सहायता से परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है।

एक शैक्षिक अनुसंधानकर्ता का एक प्रमुख दायित्व है कि वह तार्किक चिंतन के आधार पर परीक्षण योग्य परिकल्पना के निर्माण में समर्थ हो सकें। परिकल्पनाओं की अस्वीकृति अन्ततः इस बात का निश्चय करती है कि यह अध्ययन क्षेत्र विशेष के वैज्ञानिक विकास मे कितना योगदान करता है? विशेषतः प्रदत्त विश्लेषण, प्रदत्तों के अर्थापन के लिये किया जाता है।

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं अर्थापन शोध प्रकिया मे आगमन एवं निगमन तर्क के प्रयोग को व्यक्त करा है। प्रायः प्रदत्तों को उप समूहों में विभाजित कर उनका विश्लेषण एवं संश्लेषण इस प्रकार किया जाता है कि दी गई परिकल्पना स्वीकृत या अस्वीकृत हो सके। अन्तिम परिणाम नये सिद्धांत की खोज अथवा सामान्यीकरण होता है। प्रदत्तों के सम्भागीय अंको का परीक्षण तुलना द्वारा समूह के अन्तर्गत एवं बाहय

कसौटी के आधार पर करते हैं। प्रदत्तों के विश्लेषण के अंतर्गत अनेक समूहो विभिन्न प्रकार के अभिक्रम देकर उनकी उपलब्धियों की तुलना की जाती है तथा शोध के उद्देश्यों का निर्णय प्राप्त निष्पत्तियों के आधार पर किया जाता है। परिकल्पना से सम्बद्ध प्रदत्तों को मात्रात्मक रूप से संयोजित कर लेते है और नियंत्रित समूह के सार्थक अन्तर ज्ञात करने के लिये परिणामों का परीक्षण करते है। सामान्यतः विश्लेषण समूहों की तुलना की। यद्यपि कभी–कभी प्राप्त प्रदत्तों के आधार पर स्वयं ही उनके या अन्तर से भिन्नता ज्ञात हो जाती है।

सामान्य रूप से सांख्यिकी प्रयोग के बिना वैज्ञानिक विश्लेषण असंभव है। भिन्नता ज्ञात करने के लिये जटिल अनुमानात्मक सांख्यिकी जैसे प्रसरण का विश्लेषण एवं सह प्रसरण के विश्लेषण प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है।

शोधकर्ता द्वारा भी प्रदत्तों को संकलित कर तथा उनके अंक भार योग का सारणी वद्ध किया गया। जिसमें प्रथम सारणी शिक्षिकाओं के लिये तथा द्वितीय शिक्षकों के लिये तैयार की गई है।

4.2 उद्देश्यों के अनुसार परिणामों का परीक्षण

शोधार्थी ने प्रदत्तों के संकलन करने के बाद उनका सांख्यिकीय विधियों से मान ज्ञात करने के बाद उद्देश्यों के परिणामों को ज्ञात किया है।

4.2.1 **उद्देश्य–** प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की दण्ड के प्रति अभिवृत्ति ज्ञातकरना।

4.2.2 **परिकल्पना–** प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक कक्षा अनुशासन हेतु दण्ड को प्रभावहीन मानते है।

4.2.3 सारणी

मानक विचलन	संयुक्त मध्यमान	मध्यमान	Z-Score	T-Score
32.67	110.60	90.41	0.627	56.27

परिणाम

परिकल्पना एक के परीक्षण के लिये सर्वप्रथम प्रदत्त संकलित किये गये। इन प्रदत्तों को 20 प्राथमिक विद्यालयों के 50 शिक्षकों को न्यादर्श के रूप में चुना गया जिससे प्रदत्तों को सारणीवद्ध किया गया। इसके बाद इनका मध्यमान तथा मानक विचलन ज्ञात किया। पुनः अभिवृत्ति मापनी से न्यूनतम अंक तथा अधिकतम संख्याओं के लिये वर्ग अन्तराल के आधार पर सारणी तैयार की। इस सारणी से मध्यमान तथा मानक विचलन की गणना की। तत्पश्चात Z का मान ज्ञात कर 'T' Scare ज्ञात किया जिसका मान 56.27 प्राप्त हुआ अतः प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की अभिवृत्ति धनात्मक है तथा परिकल्पना प्रभावहीन के स्थान पर प्रभावशाली है।

4.3.1 **उद्देश्य** कक्षा अनुशासन हेतु दण्ड के संदर्भ में प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक तथा अध्यापिकाओं की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

4.3.2 **परिकल्पना** प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक तथा शिक्षिकाओं की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नही है।

4.3.3 सारणी

सार्थकता स्तर	0.05	0.01
'टी' का मान	2.01	2.68

परिणाम

परिक़ल्पना दो के परीक्षण के लिये 20 विद्यालयों के 50 शिक्षकों के अभिवृत्ति मापनी के प्राप्तांकों के आधार पर सारणी तैयार की गई। जिसमें शिक्षिकाओं का माध्यमान 111 तथा मानक विचलन 8.24 तथा शिक्षिकों का मध्यमान 110.2 तथा मानक विचलन 8 प्राप्त हुआ। इस आधार 'टी' परीक्षण ज्ञात किया गया जिसमें 't' का गणनामान 0.35 तथा स्वतंत्रांश (48) का सारणीमान 0.05 पर 2.01 तथा 0.01 पर 2.68 प्राप्त है। अतः सारणी मान गणना मान से अधिक है। इसलिये शून्य परिकल्पना निरस्त होती हैं और परिकल्पना मान्य होती है। इस प्रकार शिक्षक तथा शिक्षिकाओं की अभिवृत्ति में अंतर है।

अध्याय पंचम

5.0 प्रस्तावना

5.1 शोध अध्ययन का सांराश

5.2 शोध अध्ययन के निष्कर्ष

5.3 शोध अध्ययन के शैक्षणिक निहितार्थ

5.4 भावी शोध अध्ययन हेतु सुझाव

अध्याय पंचम

सारांश, निष्कर्ष एवं सुझाव

5.0 प्रस्तावना

उत्तम एवं समग्र शिक्षा न केवल लोगों को सशक्त बनाती है बल्कि व्यक्तिगत तथा सामूहिक अधिकारों के साथ–साथ सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भाग लेने और उत्पादक रोजगार के लिये अवसरों को सृजित करती हे अर्थात् शिक्षा सामाजिक जीवन को हरा–भरा बनाती हैं उसे ऑक्सीजन प्रदान करती है तथा आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करती है तथा आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करती है तथा आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करती है अतः शिक्षा रूपी धुरी के चारों ओर ही किसी भी राष्ट्र के विकास का चक्र घूमता है। राष्ट्र जनों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक क्षितिज को विस्तार देकर उन्हे प्रत्येक क्षेत्र मे कार्य सक्षम बनाना शिक्षा का अमूल्य उपहार है। शिक्षा का वास्तिविक लक्ष्य है कि मनुष्य का चरित्र लयवृद्ध होना चाहिए, और उसकी आत्मा सृजनात्मक होनी चाहिये। शिक्षा से केवल सफल जीवन का ज्ञान ही नही होना चाहिए बल्कि इसके द्वारा कुछ शाश्वत मूल्यों, आदर्शों तथा सिद्धांतों का भी पता चलना चाहिए। इसी आधार पर भारत ने अपनी सामाजिक तथा सांस्कृतिक अस्मता को इंगित करने एवं उसे विकसित करने के लिये अपनी विशिष्ट शिक्षा प्रणाली का सृजन किया है जिसमें छात्रों की उनकी रूचि के अनुसार विषय के चुनाव की स्वतंत्रता रहे तथा वे उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें।

5.1 शोध सारांश

शिक्षा की कोई भी प्रणाली क्यों न हो प्रमुख होता है उसका कियान्वयन भी ऐसा हो जिससे वांछित परिणाम प्राप्त किये जा सके। किसी भी शिक्षण प्रणाली के सफल संचालन के लिये छात्र–शिक्षक तथा अभिभावक तीनों पक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उनके विशिष्ट उत्तर दायित्व होते है जितना ही शिक्षक का उच्च आदर्श होता है वैसे छात्र आदर्शोन्मुख होते है। क्योंकि छात्र के मनः पटल पर शिक्षक के व्यक्तित्व की छाप रहती हैं। शिक्षक के आदर्श की प्राप्ति की प्रेरणा देने का अभिभावकों

का उत्तर दायित्व उतना ही बढ़ जाता है। हम किस प्रकार की शिक्षा अपने को दे सकते है यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी शिक्षण प्रणाली किस प्रकार की है।

वर्तमान समय में शिक्षा के प्रत्येक पक्ष मे गिरावट आ रही है। इसका प्रवलतम एवं प्रभावी कारक अभिभावकों एवं शिक्षकों की अभिवृत्ति किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना प्रक्रिया या धर्म के प्रति व्यक्ति की आन्तरिक अनुभूति या दृष्टिकोण है। अभिवृत्ति मनुष्य के भावी व्यवतर्क एवं कल्पना शक्ति को प्रभावित करती है। इसमें अनेक विशिष्ट गुण होते है। जो कि व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होते है। व्यवहारिक दृष्टि से अभिभावकों एवं शिक्षकों के लिये अभिवृत्तियों का अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण है, धनात्मक या सकारात्मक अनुकूल अभिवृत्तियां कार्य को केवल सरल ही नही बनाती बल्कि संतोष प्रद एवं पुरूस्कार योग्य भी बनाती संतोष प्रद एवं पुरूस्कार योग्य भी बनाती है ऋणात्मक या नकारात्मक प्रतिकूल अभिवृत्तियां कार्य को बहुत थका देने वाला एवं दुःख प्रद बनाती हे।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में समस्या ''दण्ड के प्रति प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की अभिवृत्ति का आलोचनात्मक अध्ययन ''विषय पर अध्ययन किया गया है। जिसमें असंभाव्य प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया गया है। शहर के कोई भी 20 प्राथमिक विद्यालय लिये जाने है जिनमें से 50 अध्यापकों का अन्तिम रूप से प्रतिदर्श के रूप में चयन किया है।

5.1.1 अद्यतन ज्ञान

दण्ड विषय पर विद्वानों के बीच मतभेद बने हुये हैं। कुछ विद्वान दण्ड को आवश्यक मानते है तथा कुछ विद्वान दण्ड को आवश्यक नहीं मानते है। वर्तमान समय में शिक्षण प्रक्रिया को बाल केन्द्रित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार के उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2000 में एक महत्वपूर्ण निर्णय में शारीरिक दण्ड पर रोक लगा दी है।

5.1.2 अध्ययन की आवश्यकता

आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि शिक्षण प्रक्रिया में दण्ड को बन्द किया जाये। उच्चतम न्यायालय की ओर से भी शारीरिक दण्ड पर रोक लगी है। दण्ड प्रक्रिया बन्द होने से छात्रों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। दण्ड का भय न होने से छात्रों में कई ऐसी आदते पनप रही है जो विद्यालय के वातावरण के अनुकूल नहीं हैं ऐसी स्थिति में शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विद्यालयों के पास बच्चे शोर मचाते तथा कक्षाओं के बाहर अनैतिक क्रिया–कलाप करते हुये देखे जा सकते हैं। जानकारी करने पर पता चलता है कि बच्चे अनुशासनहीन हो रहे है उन्हे दण्ड का भय नही तथा अधिक छात्र अध्ययन में रूचि नही लेते है। जो पढ़ने में रूचि अध्ययन में रूचि नहीं लेते है। जो पढ़ने में रूचि लेते हैं वे भी संगति के कारण नही पढ़ते हैं। इसलिये शोधार्थी ने इस विषय पर शोध का चयन किया है क्योंकि इस शोध से अध्यापकों का दण्ड के प्रति अभिवृत्ति की जानकारी तक पहुँचने में सफलता मिल सकती है। दण्ड़ प्रक्रिया से बालक में सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते है। दण्ड प्रक्रिया को अनेक विद्धानों ने पाश्विक प्रक्रिया माना है। प्रकृति वादी तो दण्ड का पूर्ण विरोध करते है। कई विद्धान दण्ड को आवश्यक भी मानते हैं इन सब के होते हुये भी वास्तिविक स्थिति को केवल अध्यापक ही समझ सकता है क्योंकि वास्तिविक घटना तो अध्यापक के सामने घटित होती है।

5.1.3 शोध समस्या कथन

बाँदा जनपद के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का दण्ड के अभिवृत्ति का आलोचनात्मक अध्ययन।

5.1.4 अध्ययन के उददेश्य

1. प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की दण्ड के प्रति अभिवृत्ति ज्ञात करना।
2. कक्षा अनुशासन हेतु दण्ड के भूमिका के संदर्भ में प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक, अध्यापिकाओं की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

5.1.5 शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ

1. प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक कक्षा अनुशासन हेतु दण्ड को प्रभावहीन मानते हैं।
2. प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक तथा शिक्षिकाओं की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नही है।

5.2 शोध अध्ययन के निष्कर्ष

शिक्षा के क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को शोध निष्कर्ष सदैव सहायता प्रदान करते है। इन कार्यकर्ताओं को शोध निष्कर्षों की समझ होनी चाहिए। तभी इनका वे समुचित उपयोग कर सकते है, परन्तु शोध कार्यकर्ता शोध निष्कर्षों को नहीं समझते और न ही इनका उपयोग समझते। इसलिये शोध कार्य पूर्ण होने के पश्चात् विचार गोष्ठी की व्यवस्था की जाय। इसमें कार्यकर्ता तथा विषेशज्ञों को असमंत्रित किया जाय। इसमें शोध के निष्कर्षों का विवेचन किया जाय तथा उनकी उपयोगिता की चर्चा होनी चाहिए, जिससे शोध निष्कर्षों की उपयोगिता की जानकारी हो सके। इसमें नीति निर्धारकों तथा प्रशासकों को भी सम्मिलित किया जाय। शोध निष्कर्षों की उपयोगिता के सम्बन्ध में सभी को सनतुष्ट करना चाहिए।

यह भी आवश्यक होता है कि विभिन्न परिस्थितियों पर विचार किया जाय ओर इन परिस्थितियों में शोध निष्कर्षों के प्रभाव का विवेचन किया जाये। शोध निष्कर्षों की उपयोगिता का विवरण सामान्य रूप से ही किया जाता है। शोध निष्कर्षों के प्रसार हेतु प्रकाशित भी किया जाना चाहिए। क्योंकि विचार गोष्ठी से सीमित व्यक्तियों को जानकारी दी जा सकती है। विचार गोष्ठी में जिन बिन्दुओं पर वाद–विवाद किया जाता है उनसे शोधकर्ता को पृष्ठपोषण मिलता है तथा शोध कर्ता में और सुधार लाया जा सकता है। इस शोध क्रियाओं को अधिक सार्थक और उपयोगी बना सकते है।

फेस्टिंगस तथा डेनियल के अनुसार

'' विषय–विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जटिल तथा अस्पष्ट गुणात्मक तथ्यों के स्वरूप के रूप को सरल तथा बोधगम्य बनाने का प्रयास यिका जाता है।''

बिना निष्कर्ष निकाले सर्वेक्षण शोध कार्यों को अपूर्ण एवं अर्थहीन समझा जाता है। निष्कर्ष द्वारा शोध अध्ययन एवं संबंधित विषयों पर नवीन ज्ञान प्राप्त होता है। सिद्धांत एवं नियमों के अतिरिक्त अन्य शोध संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करने में भी निष्कर्ष महत्वपूर्ण योगदान देते है। समग्र रूप से प्रदत्तों का विश्लेषण तथा परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जाता है। अंत में सम्पूर्ण जानकारी तथा परिणामों को दृष्टिगत रखते हुये जो निष्कर्ष प्राप्त होते है। उन्हें सुव्यवस्थित रूप से लिपिवद्ध किया जाता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन ''दण्ड के प्रति प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की अभिवृत्ति का आलोचनात्मक अध्ययन'' पर शोध कार्य कर निम्न लिखित शोध निष्कर्ष प्राप्त हुये।

➢ दण्ड को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक आवश्यक मानते है।
➢ प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिकाये भी दण्ड को आवश्यक मानती है।
➢ विद्यालय वातावरण में अनुशासन के लिये दण्ड प्रक्रिया आवश्यक है।
➢ शिक्षकों की अपेक्षा शिक्षिकायें दण्ड को अधिक आवश्यक मानती है।
➢ दण्ड प्रक्रिया पर सरकार को स्थायी रूप से रोक नहीं लगानी चाहिए।
➢ दण्ड का प्रयोग उचित समय पर किया जाना चाहिए।
➢ दण्ड प्रक्रिया का रूप सुधारात्मक होना चाहिए।
➢ विद्यालयों में व्यवस्था इस प्रकार की हो कि छात्रों में अनुशासन हीनता पनप ही न पायें।

5.3 शोध समस्या के शैक्षणिक निहितार्थ

➢ शिक्षण व्यवस्था उत्तम हो इसके लिये विद्यालय में शिक्षा का वातावरण बनाये रखना चाहिए।
➢ विद्यालय में सभी छात्र अध्ययन कर सके, इसके लिये शैतान तथा उचित समय पर दण्ड का भी प्रयोग किया जाय जिससे शिक्षण प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा शिक्षण प्रक्रिया को उत्तम रूप प्रदान किया जा सके, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा ही छात्र की शिक्षा का आधार स्तम्भ होती है।

- अध्यापकों का प्रयास होना चाहिए कि वे इस आधार स्तम्भ को अच्छी मजबूती प्रदान करें।
- इस शोध अध्ययन में शिक्षक तथा शिक्षिकायें दण्ड को आवश्यक मानते हैं फिर भी दण्ड का प्रयोग उचित समय तथा परिस्थिति के अनुसार ही किया जाय।
- सरकारी तंत्र को इस पर से पूर्ण रूप से लगी रोक को हटाने पर विचार करना चाहिए।

5.4 भावी अध्ययन हेतु सुझाव

भारत में स्वतंत्रता के बाद शिक्षा अनुसंधान में बहुत अधिक कार्य हुये है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय नियोजन तथा प्रशासन संस्थान की स्थापना इसी का परिणाम है। यह धारणा विकसित हुई कि शिक्षा में सुधार तथा विकास शोध निष्कर्षों पर आधारित होने चाहिए। शिक्षा में अनेक नये परिवर्तन हुये हैं, पाठयक्रय विकास, अध्यापक शिक्षा, अनुदेशन तकनीकि, पत्राचार–शिक्षा तथा दूरवर्ती शिक्षा, मुक्त शिक्षा तथा मुक्त विश्वविद्यालय आदि क्षेत्र विकसित हुये है परन्तु यह देखना कि शिक्षा के अन्तर्गत कौन सा विकास शोध निष्कर्षों का परिणाम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रथम (1968) में तैसार की गई, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के शोध निष्कर्षों का प्रयोग हुआ। शिक्षा में नियोजन किया जाता है उसमें शायद शोध निष्कर्षों को प्रयुक्त किया जाता हों।

स्वतंत्रता के बाद विज्ञान के पाठ्य क्रमों की चार बार समीक्षा की जा चुकी है। परन्तु कोई शोध अध्ययन विज्ञान के पाठ्य क्रम मूल्यांकन हेतु नहीं किया गया। राष्ट्रीय अध्यापक आयोग में यह सुझाव दिया गया कि सभी राज्यों की एक संयुक्त परिषद होनी चाहिए। इस संदर्भ में भी कोई शोध अध्ययन नहीं किया गया। अभी हाल ही में एक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) का गठन हुआ तथा उसका एक्ट भी बन गया। जिसके 14 प्रमुख कार्य होगें। राज्यों में शिक्षकों के स्थानान्तरण है इस पर शोध अध्ययन नहीं हुआ जिसके आधार पर कोई ठोस संस्तुति की जा सके शिक्षा की जो व्यवहारिक समस्यायें है उनके अध्ययन करने में असफल रही अथवा इस प्रकार के शोध

अध्ययन को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, शिक्षा प्रशासक भी शोध संस्थओं से सम्पर्क नहीं रखते, जिससे एक दूसरे की समस्याओं में सहयोग दे सके। प्रशासकों की आवश्यकता के अनुरूप शोध अध्ययन किये जा सकते है। शिक्षा–अनुसंधान में गुणात्मक सुधार के लिए आवश्यक है कि विद्यालय, विद्यार्थी तथा शिक्षकों, प्रशासकों की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाये।

शिक्षा आयोग **(1964–66)** ने संस्तुति दी थी कि शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्रों की समस्यायें हेतु बढ़ावा दिया जाय। प्रत्येक राज्य में एक प्रतिशत वजट शोध के लिये व्यवस्था की जाये आज प्रत्येक 'राज्य में शिक्षा परिषद' की स्थापना की जा चुकी है तथा राज्य शिक्षा संस्थान भी स्थापित किये गये, परन्तु इन संगठनों में कुशल व्यक्तियों की नियुक्तियां नहीं की गई है। इसलिये इन संगठनों का कोई भी व्यवहारिक लाभ नही हुआ है। शिक्षा प्रणाली की समस्याओं से संबंधित शोध अध्ययन नहीं किये गये जिससे शिक्षा संबंधी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। इन राष्ट्रीय शिक्षा संगठनों का शिक्षा की पुनर्रचना तथा विकास में कोई ठोस योगदान नहीं है। यह संगठन पश्चिमी देशों में जो कुछ नवीन परिवर्तन होते है उन्ही की पुररावृत्ति करते हैं, अपना कोई मौलिक योगदान नहीं है। शिक्षा के शोध अध्ययनों मे गुणवत्ता की अधिक आवश्यकता है।

शोधकर्ता द्वारा सम्पन्न किये गये प्रस्तुत लघु शोध अध्ययन शीर्षक ''दण्ड के प्रति प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की अभिवृत्ति का आलोचनात्मक अध्ययन को पूर्णतः प्रदान करने के दौरान कुछ नवीन अनुभवो, विचारों को अनुभूत किया गया है। इस नवीन अनुभवों तथा विचारों पर भविष्य के शोध कर्ताओं द्वारा शोध किये जा सकते है। वस्तुतः शोधकर्ता इन्हीं भावी शोध अध्ययन हेतु सुझावों के रूप मे भविष्य में शोधार्थियों की सहातार्थ प्रस्तुत कर रहा है।

- अध्ययन के लिये बड़े न्यादर्श का चयन किया जा सकता है, इसलिये अध्ययन में शिक्षण संस्थाओं का अध्ययन तथा इकाईयों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।
- बाँदा जनपद के अतिरिक्त अन्य जनपदों को भी शामिल किया जा सकता है।

- प्राथमिक स्तर के अलावा अन्य कक्षा के अध्यापकों का अध्ययन किया जा सकता है।
- दण्ड का प्रयोग अलग–अलग कक्षाओं के लिये अलग–अलग रूपों में किया जाता है। अतः इसका अध्ययन प्रत्येक स्तर पर किया जाना चाहिए।
- दण्ड के प्रति अभिभावकों की अभिवृत्ति का भी अध्ययन किया जा सकता है।
- दण्ड प्रति जन सामान्य की भी अभिवृत्ति का अध्ययन किया जा सकता है।
- ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र के अध्यापकों की अभिवृत्ति का भी अध्ययन किया जा सकता है।
- ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के अभिभावकों की अभिवृत्ति (दण्ड के प्रति) का अध्ययन किया जा सकता है।
- दण्ड के प्रति शिक्षित तथा अशिक्षित अभिभावकों की अलग–अलग अभिवृत्ति का अध्ययन किया जा सकता है।
- ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की शिक्षिकाओं का दण्ड के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन किया जा सकता है।

परिशिष्ट

1. अभिवृत्ति मापनी
2. गणना से सम्बन्धित सारणियां

के प्रति अभिवृत्ति मापनी

शोध निर्देशक
डा0 प्रताप सिंह सेंगर
(प्रवक्ता)

शोधकत्री
अर्चना
एम0एड0 (छात्रा)

शिक्षा संस्थान
अतर्रा पी0जी0 कॉलेज, अतर्रा बाँदा

विद्यालय का नाम..

सहायक का नाम..

शैक्षिक योग्यता..

विशेष योग्यता..

नोट :–

1. लघु शोध कार्य हेतु बनी इस अभिवृत्ति मापनी मे कुल 30 प्रश्न है।
2. प्रत्येक प्रश्न के पाँच विकल्प है, आपके अनुसार जो उचित हो उस पर (✓) का निशान अंकित करें।
3. कृपया आप सभी प्रश्नों पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करें।
4. आपके द्वारा दी गई अभिवृत्ति पूर्णतया गोपनीय रखी जायेगी।

क्र0	प्रश्न	अत्य0	सह0	तट0	अस0	अत्यधिक असहमत
1	दण्ड का भय छात्रों को अनुशासन में रखता है।					
2	छात्र बिना अनुमति लिए कक्षा से भाग जाता है अतः उसे दण्ड दिये जाना चाहिये।					

दण्ड के प्रति अभिवृत्ति मापनी

शोध निर्देशक
डा0 प्रताप सिंह सेंगर
(प्रवक्ता)

शोधकत्री
अर्चना
एम0एड0 (छात्रा)

शिक्षा संस्थान

अतर्रा पी0जी0 कॉलेज, अतर्रा बाँदा

विद्यालय का नाम...

सहायक का नाम..

शैक्षिक योग्यता...

विशेष योग्यता..

नोट :–

1. लघु शोध कार्य हेतु बनी इस अभिवृत्ति मापनी मे कुल 30 प्रश्न है।
2. प्रत्येक प्रश्न के पाँच विकल्प है, आपके अनुसार जो उचित हो उस पर (✓) का निशान अंकित करें।
3. कृपया आप सभी प्रश्नों पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करें।
4. आपके द्वारा दी गई अभिवृत्ति पूर्णतया गोपनीय रखी जायेगी।

क्र0	प्रश्न	अत्य0	सह0	तट0	अस0	अत्यधिक असहमत
1	दण्ड का भय छात्रों को अनुशासन में रखता है।					
2	छात्र बिना अनुमति लिए कक्षा से भाग जाता है अतः उसे दण्ड दिये जाना चाहिये।					

3	कक्षा में देर से आने पर छात्र को दण्ड देना आवश्यक हो जाता है।					
4	अन्य छात्रों को तंग करने पर अपराधी छात्र को दण्ड दिया जाय।					
5	कक्षा में चोरी करने पर अपराधी छात्र को दण्ड देना चाहिए।					
6	असभ्य भाषा का प्रयोग करने पर छात्र को दण्ड देना चाहिए।					
7	गृह कार्य न करने पर छात्र को दण्ड देना आवश्यक है।					
8	कक्षा में छात्र अध्यापक का कहना नही मानता है, इस स्थिति में दण्ड देना आवश्यक है।					
9	परीक्षा में यदि छात्र अनुचित साधन का प्रयोग करता है तो उसे दण्ड देना चाहिए।					
10	छात्र कक्षा में वर्ष भर अध्ययन करता है और लापरवाही से परीक्षा नही देता है तब दण्ड का प्रयोग किया जाना चाहिए।					
11	छात्र द्वारा स्कूल सामग्री को क्षति पहुॅचाई जाती है तब दण्ड का प्रयोग आवश्यक हो जाता है।					
12	छात्र हमेशा प्रार्थना सभा में सम्मिलित नही होता है तब उसे दण्ड देना चाहिए।					

13	छात्र स्कूल में यदि विद्यालय नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे दण्ड देना आवश्यक हो जाता है।					
14	छात्रों को दण्ड नहीं दिया जाता चाहिए क्योंकि दण्ड डाक्टर के चाकू की भांति आवश्यक बुराई है।					
15	यह जानते हुये कि छात्र अपराधी है फिर भी उसे दण्ड नही देना चाहिए।					
16	दण्ड तभी दिया जाए जब उससे निर्धारित लक्ष्य पूरा होता है।					
17	दण्ड अपराध के अनुसार ही दिया जाए।					
18	प्रत्येक बालक को समान अपराध के लिए समान दण्ड का प्रयोग किया जाना चाहिए।					
19	अपराध दोहराने पर अति कठोर दण्ड का प्रयोग किया जाना चाहिए।					
20	ऐसा दण्ड न दिया जाय जिससे छात्र का स्थायी हानि हो।					
21	दण्ड विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक द्वारा दिया गई स्थायी हानि है।					
22	दण्ड छात्रों में हीन भावना पैदा करता है।					
23	दण्ड अमानुषिक है और निर्दयता का परिचायक है।					
24	शारीरिक दण्ड अहिंसा के सिद्धांत के विपरीत है।					

25	दण्ड शिक्षक तथा छात्र दोनों को कठोर बनाता है।					
26	छात्रों को शारीरिक दण्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह शिक्षक के प्रति नकारात्मक सोच को पैदा करता है।					
27	जहां तक संभव हो छात्र को शारीरिक दण्ड का प्रयोग नही करना चाहिए।					
28	प्रथम अपराध पर छात्र को दण्ड न देकर समझाने का प्रयास करना चाहिए।					
29	दण्ड केवल मुख्य शिक्षक द्वारा ही दिया जाए।					
30	कठोर दण्ड का प्रयोग करने पर छात्र विद्यालय छोड सकता है।					

(आपके सहयोग के लिए धन्यवाद)

सारणी संयुक्त मध्यमान तथा मानक विचलन

अंक अतंराल	अध्यापकों की संख्या	मध्य बिन्दु ( )	fx	d	d^2	fd	fd^2
90-100	6	95	570	-2	4	-12	24
100-110	21	105	2205	-1	1	-21	21
110-120	14	115	1610	0	0	0	0
120-130	7	125	875	+1	1	7	7
130-140	2	135	270	2	4	4	8
योग	N = 50		fx =5530			fd = -22	fd = 60

मध्यमान की गणना $= \sum fx/N$

$= 5530/50$

$=110.6$

मानक विचलन $SD = i x \sqrt{\sum fd^2/N - (fd/N)^2}$

$= 10 \times \sqrt{60/50 - (-22/50)^2}$

$= 10 \times \sqrt{1.2 - 0.194}$

$= 10 \times \sqrt{1.006}$

10×1

$= 10$

सारणी अभिवृत्ति मापनी में प्रयुक्त संख्यात्मक मान का मध्यमान तथा मानक विचलन

वर्ग अतंराल	संख्याओं की आवृत्ति (f)	मध्य बिन्दु ( )	fx	d	d^2	fd	fd^2
30-50	20	40	800	-3	9	-60	180
50-70	20	60	1200	-2	4	-40	80
70-90	20	80	1600	-1	1	-20	20
90-110	20	100	2000	0	0	00	0
110-130	20	120	2400	+1	1	+20	20
130-150	21	140	2900	+2	4	+42	44
	121		fx = 10940			fd = -58	fd = 344

मध्यमान की गणना $= \sum fx/N$

$= 10940/121$

$=90.41$

मानक विचलन $SD = i x \sqrt{\sum fd^2/N - (fd/N)^2}$

$= 20 \times \sqrt{344/121 - (-58/121)^2}$

$= 20 \times \sqrt{2.84 - 0.23}$

$= 20 \times \sqrt{2.61}$

20×2.61

32.31

$Z = x - m / SD$

$Z = 110.6 - 90.41 / 32.2$

$= 0.627$

$T = 50 + 10 Z$

$T = 50 + 10 \times 0.627$

$= 50 + 6.27$

$= 56.27$

शिक्षिकाओं का मध्यमान तथा मानक विचलन

अंक अंतराल	शिक्षिकाओं की संख्या	अंकअंतराल का मध्य बिन्दु (x)	x-m/1	d^2	f-d2	f-d^2	f.x
90-100	2	95	-2	4	-4	8	190
100-110	12	105	-1	1	-12	12	1260
110-120	6	115	0	0	0	0	690
120-130	4	125	+1	1	4	4	500
130-140	1	135	+2	4	2	4	135
	N=25				$\sum f.x=-10$	$\sum fd^2=28$	$\sum fx=2775$

मध्यमान की गणना –

$= \sum f.x/N$

$\sum f.x = 2775$

$N = 25$

सूत्र में मान रखने पर

$= 2775/25$

$=111$

मानक विचलन $SD = i x \sqrt{\sum fd^2/N - (fd/N)^2}$

$i = 10$

$\sum fd^2 = 28$

$\sum fd = -10$

$N = 25$

$= 10 x \sqrt{28/25 - (-10/25)^2}$

$= 10 x \sqrt{1.12 - 0.44}$

$= 10 x \sqrt{0.68}$

$10 x 0.824$

$SD = 8.24$

अध्यापकों का मध्यमान तथा मानक विचलन

अंक अंतराल	शिशिकाओं की संख्या	मध्य बिन्दु (x)	d	d^2	f.d2	$f.d^2$	f.x
90-100	4	95	-2	4	-8	16	380
100-110	9	105	-1	1	-9	9	945
110-120	8	115	0	0	0	0	920
120-130	3	125	+1	1	3	3	375
130-140	1	135	+2	4	3	4	135
	N=25				$\sum f.x = -12$	$\sum fd^2 = 32$	$\sum fx = 2755$

मध्यमान की गणना –

$= \sum f.x/N$

$\sum f.x = 2755$

$N = 25$

सूत्र में मान रखने पर

$= 2755/25$

$= 110.2$

मानक विचलन $SD = ix \sqrt{\sum fd^2/N - (fd/N)^2}$

$i = 10$

$\sum fd^2 = 32$

$\sum fd = -12$

$N = 25$

$= 10 \times \sqrt{32/25 - (-12/25)^2}$

$= 10 \times \sqrt{1.28 - 0.64}$

$= 10 \times \sqrt{0.64}$

10×0.8

$= 8$

	शिक्षिकायें	शिक्षक
मध्यमान	111	110.2
मानक विचलन	8.24	8
संख्या	25	25

मानक त्रुटि

$$SE_1 = SD_1/\sqrt{N_1}$$

$$SE_1 = 8.24/\sqrt{25}$$

$$= 1.64$$

$$SE_2 = SD_2/\sqrt{N_2}$$

$$SE_2 = 8/\sqrt{25}$$

$$= 8/5$$

$$= 1.60$$

माध्यमानों के अन्तर की प्रमाणिक त्रुटि

$$SE_D = \sqrt{(SE_1)^2+(SE_2)^2}$$

$$= \sqrt{(1.64)^2+(1.60)^2}$$

$$= \sqrt{2.68 + 2.56}$$

$$= \sqrt{5.25}$$

$$= 2.28$$

$$D = M_1 - M_2$$

$$D = 111 - 110.2$$

$$= 0.8$$

टी–परीक्षण (t) $= D/SE_D$

$$= 0.8/2.28$$

$$t = 0.350$$

स्वतंत्राश df = (48)

सार्थकता स्तर	0.05	0.01
टी का मान	2.01	2.68

C.V. = 0.35

T.V. = 2.01

than T.V. > C.V.

= H_0 is Rejected

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, आर0ए0 (2011). *शिक्षा अनुसंधान के मूल तत्व एवं शोध प्रक्रिया.* मेरठ : आर0लाल बुक डिपो।

2. पाण्डेय, कल्पलता, श्रीवास्तव, एस0एस0. *शिक्षा मनोविज्ञान भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टि.* वाराणसी : टाटा मोकग्रा हिल पब्लिशिंग कम्पनी लिमिटेड।

3. गुप्ता, एस0पी0 (2008). *सांख्यिकीय विधियां.* इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन।

4. अग्रवाल, जे0सी0 (2008). *शैक्षिक तकनीकी तथा प्रबन्ध के मूल तत्व.* आगरा : अग्रवाल पब्लिकेशन्स।

शपथ पत्र

समक्षः— न्यायालय सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ झाँसी

सर्वश्रीः— सूरत गुड्स ट्रान्सपोर्ट प्रा0लि0 मुम्बई

बनाम

कमिश्नर वाणिज्यकर उ0प्र0 लखनऊ

अपील सं0— सन् 2013

मैं उपरोक्त शपथकर्ता शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ किः—

1— यह कि शपथकर्ता वाहन सं0— UP63-T-3064 का वाहन चालक है तथा निम्न तथ्यों से वाकिफ है।

2— यह कि शपथकर्ता द्वारा उपरोक्त वाहन में फार्सराक कैमिकल्स इण्डिया प्रा0लि0 अंकलेश्वर जिला भरूच गुजरात से वाहन में लोड कैमिकल्स का परिवहन का परिवहन प्रान्त बाहर को फर्म साई परमेश्वर इण्टरप्राइजेज पटना (बिहार) एवं विजनेसकन्सेटर वेगूसराय (बिहार) के लिए किया जा रहा था।

3— यह कि उक्त वाहन में लोड माल को भरूच गुजरात से भेजते समय ट्रान्सपोर्टर द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि 3000 पहुँचने से पहने अम्बावाय पर बैठने वाले मुन्शियों से बहती/ट्रान्जिट डिक्लरेशन फार्म बनवाकर उ0प्र0 में प्रवेश करें।

4— यह कि शपथकर्ता ने बहती/ट्रान्जिट डिक्लरेशन फार्म बनवाने हेतु समस्त प्रपत्र अम्बावाय पर बैठने वाले मुन्शियों को दिये थे, उनके द्वारा यह कहा गया था कि इण्टरनेट काम नहीं कर रहा है तुम झाँसी पहुचकर किसी इण्टरनेट से ट्रान्जिट डिक्लरेशन फार्म बनवा लेना। इसी कारण शपथकर्ता अपने वाहन को अम्बावाय से लेकर झाँसी के रास्ते में आ रहा था।

5— यह कि शपथकर्ता अम्बावाय से मात्र 5—7 किलोमीटर ही आगे चला था कि रास्ते में सचल दल अधिकारी मिले जिन्हें शपथकर्ता ने अपनी स्वेच्छा से माल से सम्बन्धित समस्त प्रपत्र दिये तथा बतलाया कि अम्बावाय पर इण्टरनेट काम नहीं कर रहा है इस कारण ट्रान्जिट डिक्लरेशन फार्म झाँसी में बनवाना था।

6— यह कि शपथकर्ता उ0प्र0 की सीमा में पहलीबार प्रवेश कर रहा था इस कारण उसे उ0प्र0 वाणिज्यकर अधिनियम की जानकारी नहीं थी कि बिना ट्रान्जिट डिक्लरेशन फार्म के झाँसी तक पहुँचने में उसके माल को अभिगृहित कर लिया जाएगा।